

REVIEW STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF PARLIAMENT ALONG WITH THE ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 2016-17 IN RESPECT OF SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI

Organization Particulars

1. Name of the Institute	: Science and Engineering Research Board (SERB), New Delhi
2. Established in the year	: 2008
3. Number of scientists/faculty	: 18
4. Number of Post-doctoral research staff	: NIL
5. Total number of regular employees	: 20

The Science and Engineering Research Board (SERB) is a statutory body established through an Act of Parliament, 2008. The primary and distinct mandate of the Board is to support basic research in emerging areas of Science & Engineering. As the premier national research funding agency, raise the quality and footprint of Indian science and engineering to the highest global levels in an accelerated mode, through calibrated, competitive support of research and development. With limited work force, SERB has contributed in developing robust, comprehensive & sophisticated research facilities & infrastructure across the country which is being efficiently utilized by the scientific community of the country in taking the quality of science to the next higher level. It has collaborated with several internationally recognized counter parts of other countries to bring out the latest development in the field of Science & Technology. SERB aims to bring more transparency and has a fair and non-discriminatory approach for science funding.

The SERB structure comprises of both its Board and an Oversight Committee. The Board, chaired by Secretary DST and comprises of 17 members, including 7 secretaries of the Government of India. The Secretary, SERB is the Member Secretary of the Board. The oversight committee is Chaired by Dr. Vijay P. Bhatkar, Chancellor, Nalanda University with Secretary, DST as Vice Chair, and Presidents of Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, Indian National Academy of Engineering, Secretary, Science and Engineering Research Board as Members and three Members appointed by the Central Government from amongst distinguished experts in different areas of Science and Technology.

Objectives:-

- Serves as a premier agency for planning, promoting and funding internationally competitive research in emerging areas.
- Identifies major inter-disciplinary research areas, and individuals, groups or institutions and funds them for research.
- Assists in setting up infrastructure and conducive ambience for scientific pursuit.
- Enables synergy between academic institutions, research and development laboratories and industry for promoting basic research in science and engineering.
- Evolves a management system to speedily provide research funds, including monitoring and evaluation, by adopting modern management practices.

SERB Schemes and Programmes:-

The SERB has given special attention to initiate new schemes and programmes which have far reaching consequences in the R&D sector. Seven new Schemes viz. Visiting Advance Joint Research (VAJRA), Overseas Doctoral Fellowship-Training, Teachers Associate-ship for Research Excellence (TARE), Accelerate Vigyan, Distinguished Investigator Award (DIA), Mathematical Research Impact-Centric Support (MATRICS) and Uchhatar Avishkar Yojna (UAY) were initiated during the year 2016-17.

SERB supports Core Research and Innovation through Extra Mural Research Funding (EMR), High Risk High Reward (HRHR), Industry Relevant R&D (IRRD), Intensification of Research in High Priority Areas (IRHPA) schemes, National Post-Doctoral Fellowship (NPDF), Overseas Doctoral Fellowship-Training for Indian Ph.D Scholars, Overseas Postdoctoral Fellowship and Early Career Research Award (ECRA) are the schemes for young researchers.

Equity and Empowerment Opportunities for Excellence in Science (EMEQ), and Ayurvedic Biology Program are the continuing Schemes and Programmes to strengthen linkages with society. International Travel Support (ITS) Scheme and Assistance to Professional Bodies & Seminar/Symposia are the two categories of Support for Science and Technology Events.

Partnership Programmes:-

PM's Doctoral Fellowship, R & D Scheme on Food Processing (MOFPI), Cell Tower Radiation Programme, Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT), Uchhatar Avishkar Yojana (UAY) are the **National Partnership Programmes**; and S. N. Bose Scholars Programme, Overseas Doctoral Fellowship, Newton - Bhabha International Fellowships, Partnership for International Research and Education (PIRE), Indo-US Grand Challenge: Initiative on Affordable Blood Pressure Measurement Technologies for Low Resource Settings in India and the U.S., Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) and Visiting Advance Joint Research (VAJRA) are the **International Partnership Programmes**.

New MoU with foreign collaborators:-

The SERB signed the following MoUs during the year for its intentional partnerships:-

- Alberta University, Edmonton, Alberta, Canada
- Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
- The Royal Society, London, UK

Awards and Fellowships:-

J C Bose Fellowship, Ramanujan Fellowship, SERB Distinguished Fellowship and SERB Women Excellence Award.

A few of the features, that have been set in are:-

- **Efficiency:** R&D proposals are invited through "Call for Proposals" at regular periodicity with clear timelines announced for submission, review, decision and fund disbursement.
- **Timeliness:** As far as possible, the efforts are made to ensure that funding commitments are not carried forward to the next funding cycle, strictly ensuring the delivery of goals and tasks.
- **Optimal Resource Utilisation:** To improve the operational process, the Programme Advisory Committees (PACs) have been restructured, realigned in recent times.
- **Innovation:** As has been the case always, this year many new schemes have been initiated. These programmes have been designed with focus toward different level of researchers and teachers.
- **Code of conduct:** A 'Code of Conduct' and 'Conflict of Interest' policy has been enforced for grant applicants (including collaborators), reviewers & committee members and officers dealing with various programs of the Board. This policy aims to bring more transparency, increased accountability in funding mechanisms and provide assurance to the general public that processes followed are fair and non-discriminatory.

The Science and Engineering Research Board (SERB jointly hosted the Annual Fifth Meeting of Global Research Council (GRC), on May 25-27, 2016 with the Research Councils UK (RCUK). GRC is a virtual organisation comprising of the heads of research funding agencies around the world, dedicated to promoting the sharing of data and best practices for high-quality collaboration among funding agencies worldwide. GRC has a long-term objective of fostering multilateral research and collaboration across continents to benefit both developing and developed nations. The two topics for Annual Meeting were 'Interdisciplinarity' and 'Equality and Status of Women in Research', both of which build on previous GRC discussions and statements.

Implementation of Official Language:-

Science & Engineering Research Board (SERB), since its inception has been implementing the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Hindi Fortnight was celebrated in SERB from 14 to 29 September, 2016. Various activities were organized for the staff/officers both Hindi speaking and Non-Hindi speaking to promote the official language.

Audited Annual Statement of Accounts:-

As per the provisions laid down in SERB Act, 2008, the Annual Accounts of the SERB were got audited by a team of Auditors nominated by C&AG. The Audited Annual Statements of Accounts of the Board along with the Separate Audit Report of C&AG are annexed with the Annual Report.

The Board incurred expenditure of Rs.783.43 crores during the Financial Year 2016-17.

Filing of Income Tax Return & Income Tax Exemption:-

The Income Tax Return for the Assessment Year 2017-18, pertaining to the Financial Year 2016-17 has been filed. The SERB has been granted tax exemption u/s 10/46 of the Income Tax Act, 1961 by the Government as per Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance Notification dated 31st March, 2017 for the Financial Years from 2013-14 to 2017-18 (5 Years).

Right to Information Act:-

The provisions of RTI Act, 2005 are being followed and requisite information is provided to the Applicants under RTI Act.

AUTHENTICATED

**(DR. HARSH VARDHAN)
Minister for Science & Technology and Earth Sciences**

(DR. HARSH VARDHAN)
MINISTER FOR
SCIENCE & TECHNOLOGY AND EARTH SCIENCES
Govt. of India,
New Delhi

COMPREHENSIVE DELAY STATEMENT EXPLAINING THE REASONS OF DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT AND AUDITED STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2016-17 OF THE SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI, ON THE TABLE OF BOTH THE HOUSES OF PARLIAMENT DURING THE BUDGET SESSION, 2018.

The Annual Report along with the Audited Statement of Accounts for the year 2016-17 in respect of the **SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI**, which was required to be laid on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha during the Winter Session of 2017-2018, could not be laid within the stipulated date despite all out efforts made by the board and this Department. The aforesaid papers are now being laid on the Table of both the Houses of Parliament during the Budget Session, 2018.

2. The delay in laying the Reports, which was due to circumstances beyond the control of this Department, is sincerely regretted.

AUTHENTICATED

(DR. HARSH VARDHAN)
Minister for Science & Technology and Earth Sciences

(DR. HARSH VARDHAN)
MINISTER FOR
SCIENCE & TECHNOLOGY AND EARTH SCIENCES
Govt. of India,
New Delhi

The reasons for delay in laying of the Annual Reports and Audited Accounts of the Board for the Financial Year 2016-17

S.No	Particulars	Actual Position
(a)	The date on which Board approached the Audit Authorities to appoint the auditors for auditing the accounts and date of their appointment	30.06.2017 20.07.2017
(b)	The date of compilation of Annual Accounts of Board	27.06.2017
(c)	The date on which the Annual Accounts were submitted to Auditors for auditing	20.07.2017
(d)	The date and duration for auditing the Annual Accounts of Board by Auditors	20.07.2017 - 10.08.2017
(e)	The date of queries raised by Auditors during auditing of Annual Accounts	20.07.2017 - 10.08.2017
(f)	The date on which the replies to the audit queries was furnished to the Auditors	20.07.2017 - 10.08.2017
(g)	The date on which draft Audit Report was issued by Audit Authorities	22.08.2017
(h)	The date on which the Final Audit Report received by Board.	17.11.2017
(i)	The date of finalization of Annual Report.	26.11.2017
(j)	The date on which documents were got approved from the Competent Authority (the date on which the Board approved and adopted the Annual Report)	26.12.2017
(k)	The date on which documents were taken up for translation and the time taken for completing the task.	28.11.2017 - 22.12.2017
	Date of receiving printed copies/corrected copies	25.01.2018/05.02.2018
(l)	The date on which the documents were sent to the Ministry for being laid in House	06.02.2018
(m)	The date of laying of the documents on the Table of the House.	04.04.2018 in Lok Sabha 02.04.2018 in Rajya Sabha

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली के संबंध में, वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों सहित, संसद के पटल पर रखा जाने वाला समीक्षा विवरण।

संगठन का व्यौरा

1. संस्थान का नाम	: विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली
2. स्थापना वर्ष	: 2008
3. वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों की संख्या	: 18
4. पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान कार्मिकों की संख्या	: शून्य
5. नियमित कार्मिकों की कुल संख्या	: 20

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), संसद के अधिनियम, 2008 के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। बोर्ड का प्राथमिक और विशिष्ट अधिदेश विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान के लिए सहायता देना है। एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान निधीयन अभिकरण के रूप में, यह अनुसंधान और विकास में व्यासमापी प्रतिस्पर्धात्मक सहायता के माध्यम से भारतीय विज्ञान और इंजीनियरी की गुणवत्ता और पदचिन्हों को त्वरित मोड से उच्चतम वैश्विक स्तर तक उन्नत करता है। एसईआरबी ने, सीमित कार्यबल के साथ, देश भर में सुदृढ़, व्यापक और परिष्कृत अनुसंधान सुविधाओं और अवसंरचना का विकास करने में योगदान दिया है, जिसका दक्षतापूर्ण उपयोग देश के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा विज्ञान की गुणवत्ता को अगले उच्चतर स्तर तक ले जाने में किया जा रहा है। बोर्ड ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास करने के लिए अन्य देशों के अनेक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रतिपक्षों के साथ सहयोग किया है। एसईआरबी का उद्देश्य विज्ञान में निधीयन में और अधिक पारदर्शिता लाना एवं एक निष्पक्ष और भेदभावरहित दृष्टिकोण अपनाना है।

एसईआरबी की अवसंरचना में बोर्ड और एक निरीक्षण समिति, दोनों शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव, डीएसटी हैं और भारत सरकार के 7 सचिवों सहित इसके 17 सदस्य हैं। सचिव, एसईआरबी बोर्ड के सदस्य सचिव हैं। निरीक्षण समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय पी. भाटकर, कुलाधिपति, नालंदा विश्वविद्यालय हैं और सचिव, डीएसटी इसके उपाध्यक्ष हैं और भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी के अध्यक्ष, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के सदस्य होते हैं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त केन्द्र सरकार द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होते हैं।

उद्देश्य :-

- उभरते क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और निधीयन करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- प्रमुख अन्तर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थानों की पहचान करना तथा अनुसंधान करने के लिए निधि प्रदान करना।
- वैज्ञानिक खोज के लिए अवसंरचना और प्रेरक वातावरण तैयार करने में सहायता देना।
- विज्ञान और इंजीनियरी में मूल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ बनाना।
- अनुसंधान के लिए तुरन्त निधि प्रदान करने हेतु एक प्रबन्धन प्रणाली विकसित करना, जिसमें आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना भी शामिल है।

एसईआरबी की स्कीमें/कार्यक्रम :-

एसईआरबी ने नई स्कीमें और कार्यक्रम आरम्भ करने पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका आर एंड डी क्षेत्र में दूरगामी परिणाम होगा। वर्ष 2016-17 के दौरान सात नई स्कीमें नामतः, विजिटिंग उन्नत संयुक्त अनुसंधान (वाज़रा), ओवरसीज़ डॉक्टरल अध्येतावृत्ति - प्रशिक्षण, अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए अध्यापक सहचारी वृत्ति (टीएआरई), विज्ञान त्वरण, विशिष्ट

अन्वेषणकर्ता पुरस्कार (डीआईए), गणितीय अनुसंधान प्रभाव - केन्द्रित सहायता (एमएटीआरआईसीएस) और उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) शुरू की गई।

एसईआरबी, बाह्य अनुसंधान निधीयन (ईएसआर), अधिक जोखिम अधिक पुरस्कार (एचआरएचआर), उद्योग संगत आर एंड डी (आईआरआरडी), उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रकरण (आईआरएचपीए) स्कीमों, युवा अनुसंधानकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (एनपीडीएफ), ओवरसीज़ डॉक्टरल अध्येतावृत्ति - भारतीय पीएचडी विद्वानों के लिए, ओवरसीज़ पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति और आरंभिक कैरियर अनुसंधान पुरस्कार (ईसीआरए) द्वारा मूल अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए सहायता प्रदान करता है।

समाज के साथ संबंधों के सुदृढीकरण के लिए, विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए साम्यता और सशक्तीकरण के अवसर (ईएमईक्यू), और आयुर्वेदिक जीवविज्ञान कार्यक्रम सतत रूप से जारी स्कीमों और कार्यक्रम हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहायता (आईटीएस) और व्यावसायिक निकायों और सेमिनार/संगोष्ठियों के आयोजन के लिए सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समारोहों के लिए सहायता की दो श्रेणियां हैं।

भागीदारी कार्यक्रम :-

प्रधानमंत्री डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, खाद्य प्रसंस्करण पर आर एंड डी स्कीम (एमओएफपीआई), सैल टवर विकिरण कार्यक्रम, अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी प्रभावन (इम्प्रिंट), उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई), राष्ट्रीय भागीदारी कार्यक्रम हैं; और एस.एन. बोस विज्ञान कार्यक्रम, ओवरसीज़ डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, न्यूटन - भाभा अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षण भागीदारी (पीआईआरई), इंडो-यूएस महाचुनौती : भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्प संसाधन के प्रतिष्ठानों के लिए वहनीय रक्तचाप मापक प्रौद्योगिकियों की शुरुआत, विश्वव्यापी ग्रेज्युएट अनुसंधान अवसर (जीआरओडब्ल्यू) और विजिटिंग उन्नत संयुक्त अनुसंधान (वाज़रा), अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी कार्यक्रम हैं।

विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ नए समझौता ज्ञापन :-

वर्ष के दौरान एसईआरबी ने अपनी सोदेश्य भागीदारी के लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए :-

- अल्बर्ट यूनिवर्सिटी, एडमोंटन, अल्बर्ट, कनाडा।
- पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, वेस्ट लाफायेट, इंडियाना, यूएसए।
- द रॉयल सोसाइटी, लंदन, यूके

पुरस्कार और अध्येतावृत्तियां :-

जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति, रामानुजन अध्येतावृत्ति, एसईआरबी विशिष्ट अध्येतावृत्ति और एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार।

कुछ प्रवृत्त विशिष्टियां इस प्रकार हैं :-

- दक्षता : "प्रस्तावों का आमंत्रण" के माध्यम से नियमित अंतराल पर आरएंडडी प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें प्रस्ताव भेजने, उनकी समीक्षा करने, निर्णय लेने; और धनराशि का वितरण करने की समय-सीमा स्पष्ट रूप से सूचित की जाती है।
- समय रेखा : यथासंभव यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि लक्ष्यों और कार्यों की सुपुदगी कड़ाई से सुनिश्चित की जाती है ताकि निधीयन प्रतिबद्धताओं को अगले निधीयन चक्र तक आगे न खींचा जाए।
- इष्टतम संसाधन उपयोग : प्रचालनात्मक प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, हाल ही में कार्यक्रम सलाहकारी समितियों (पीएसी) का पुनर्गठन किया गया है और उन्हें सुनियोजित किया गया है।
- नवोन्मेष : हमेशा की तरह, इस वर्ष भी अनेक नई स्कीमों आरम्भ की गईं। इन कार्यक्रमों की अभिकल्पना विभिन्न स्तर पर अनुसंधानकर्ताओं और अध्यापकों पर केन्द्रित करते हुए की गई है।

- **आचार संहिता :** बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कार्य कर रहे अनुदान आवेदकों (सहयोगकर्ताओं सहित), समीक्षकों, और समिति के सदस्यों और अधिकारियों के लिए एक 'आचार संहिता' और "हितों पर विवाद" पर एक नीति लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य निधीयन क्रियाविधियों में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बढ़ाना और जनसाधारण को यह आश्वस्त करना है कि अपनाई जा रही प्रक्रियाएं न्यायोचित और निष्पक्ष हैं।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) ने, 25 से 27 मई 2016 तक नई दिल्ली में, रिसर्च काउंसिल ब्रिटेन (आरसीयूके) के साथ मिलकर ग्लोबल रिसर्च काउंसिल (जीआरसी) की पांचवीं वार्षिक बैठक के आयोजन का आतिथेय किया। जीआरसी एक वास्तविक आभासी संगठन है, जिसमें पूरे विश्व के अनुसंधान निधीयन अभिकरणों के प्रमुख शामिल हैं और यह पूरे विश्व के अनुसंधान निधीयन अभिकरणों के बीच झट्टा साझा करने और उच्च गुणवत्ता वाले सहयोग के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। जीआरसी का दीर्घकालिक उद्देश्य विकासशील और विकसित दोनों देशों के हितों के लिए महाद्वीपों के बहुपक्षीय अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस वार्षिक बैठक के दो विषय - 'अंतरविषयशीलता' और 'अनुसंधान में महिलाओं को समानता और अवस्थिति' थे, जो पिछली जीआरसी बैठक के विचार-विमर्शों और बयानों पर आधारित थे।

राजभाषा का कार्यान्वयन :-

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), अस्तित्व में आने से ही, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करता रहा है। एसईआरबी में 14-29 सितम्बर, 2016 के दौरान 'हिन्दी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषी, और हिन्दीतर भाषी, दोनों वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा विवरण :-

एसईआरबी अधिनियम, 2008 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, एसईआरबी के वार्षिक लेखों को सीएंडएजी द्वारा नामित लेखा परीक्षकों की एक टीम द्वारा लेखा-परीक्षित कराया गया। बोर्ड के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा विवरण और सीएंडएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में अनुबंधित हैं।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 783.43 करोड़ का व्यय किया।

आयकर में छूट और आयकर रिटर्न दाखिल करना :

वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया गया। सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), वित्त मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना के अनुसार एसईआरबी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10/46 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 (5 वर्षों) की अवधि के लिए कर-छूट प्रदान की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम :

आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है और आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को अपेक्षित जानकारी प्रदान की जाती है।

अधिप्रमाणित

(डॉ. हर्ष वर्धन)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) नई दिल्ली की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण, बजट सत्र, 2018 के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए व्यापक विलम्ब विवरण।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) नई दिल्ली से संबंधित वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षित लेखा विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट, जिसे शीतकालीन सत्र 2017-18 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, बोर्ड और इस विभाग द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद निर्धारित तारीख के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उपर्युक्त कागजात अब बजट सत्र 2018 के दौरान संसद के दोनों सदनों में रखे जा रहे हैं।

2 रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने में यह विलम्ब इस विभाग के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ, जिसके लिए वास्तव में खेद है।

अधिप्रमाणित

(डॉ. हर्ष वर्धन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

हर्ष वर्धन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2016-17 की बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक स्थिति
(क)	तारीख, जब बोर्ड ने लेखों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क किया और उनकी नियुक्ति की तारीख।	30.06.2017
(ख)	बोर्ड के वार्षिक लेखों के संकलन की तारीख।	20.07.2017 27.06.2017
(ग)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे दिए गए।	20.07.2017
(घ)	तारीख, और अवधि, जब लेखापरीक्षकों द्वारा बोर्ड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की गई।	20.07.2017 से 10.08.2017
(ङ)	लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए प्रश्नों की तारीख।	20.07.2017 से 10.08.2017
(च)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर भेजे गए।	20.07.2017 से 10.08.2017
(छ)	तारीख, जब लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई।	22.08.2017
(ज)	तारीख, जब बोर्ड को अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई।	17.11.2017
(झ)	वार्षिक रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिए जाने की तारीख।	26.11.2017
(ञ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए गए।	26.12.2017
(ट)	तारीख, जब ये दस्तावेज अनुवाद और मुद्रण के लिए दिए गए और इस कार्य को पूरा करने में लगा समय।	28.11.2017 से 22.12.2017
	मुद्रित प्रतियां/संशोधित प्रतियां प्राप्त होने की तारीख	25.01.2018 / 05.02.2018
(ठ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन में रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे गए।	06.02.2018
(ड)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए।	04.04.2018 लोकसभा में 02.04.2018 राज्यसभा में